



2026:AHC: 14531

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 40757/2025

जितेन्द्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सीताराम यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर किया है:-

i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को ग्राम सभा के खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित गाटा संख्या 549 से विधि के अनुसार अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दे।

2- प्रत्यर्थी संख्या 9/ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती के साथ-साथ प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री विजय शंकर प्रसाद द्वारा एक प्रारंभिक आपति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता केवल एक शिकायतकर्ता है और वह 'व्यथित व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इस तथ्य को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।

3- किसी व्यथित पक्ष के पक्ष में अधिकार का अस्तित्व रिट याचिका बनाए रखने के लिए वाद अधिकार प्रदान करता है, जैसा कि **विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2001) 4 एससीसी 734** में इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

"2. सामान्य तौर पर, किसी व्यक्ति के पास रिट याचिका दायर करने का कोई वाद अधिकार नहीं होगा यदि वह आक्षेपित आदेश से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों पर न तो प्रत्यक्ष या सारभूत रूप से आक्रमण किया गया है और न ही ऐसे अधिकारों पर आक्रमण का कोई आसन्न खतरा है या लागू नियमावली की अनदेखी करते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए उसके अर्जित हितों का उल्लंघन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुतोष क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है। सामान्य नियम का अपवाद केवल उन वादों में है, जहाँ आवेदन की गई रिट 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' या 'अधिकार पृच्छा' की रिट हो या जनहित में दायर की गई हो। यह विवेक का मामला है, कि न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उन वादों तक सीमित रखे, जहाँ किसी विशेष व्यक्ति को विधिक क्षति या विधिक चोट पहुँचाई गई हो या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, और तीसरे पक्ष के इशारे पर व्यक्तिगत क्षति या चोट के वादों पर विचार न करे, जहाँ एक प्रभावी विधिक सहायता संगठन है, जो ऐसे वादों की देखभाल कर सकता है। जनहित में दायर वादों में भी, न्यायालय तीसरे पक्ष के इशारे पर रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तभी कर सकता है, जब यह दिखाया जाए कि विधिक गलती या विधिक चोट या अवैध बोझ की धमकी दी गई है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारित वर्ग, गरीबी, लाचारी या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रतिकूल स्थिति के कारण, अनुतोष के लिए न्यायालय पहुँचने में असमर्थ है।"

4- इसी प्रकार **अयाउबखान नुरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, (2013) 4 एससीसी 465** में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि व्यथित पक्षों के प्रवर्तनीय अधिकारों का अस्तित्व इस न्यायालय में निहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए एक पूर्व-शर्त है:

"9. यह एक स्थापित विधिक प्रस्ताव है कि किसी अजनबी को किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह प्राधिकारी/न्यायालय को संतुष्ट न कर दे कि वह व्यथित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। केवल वही व्यक्ति, जिसने विधिक चोट सही है, या सह रहा है, न्यायालय में अधिनियम/कार्रवाई/आदेश आदि को चुनौती दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका या तो वैधानिक या विधिक अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से पोषणीय है, या जब अपीलकर्ता द्वारा यह शिकायत की गई हो कि अधिकारियों की ओर से वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, प्रवर्तन के लिए एक न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया जाता है। न्यायालय, निश्चित रूप से, किसी व्यक्ति के अनुरोध पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए एक सार्वजनिक निकाय द्वारा वैधानिक कर्तव्य के पालन को लागू कर सकता है, बशर्ते कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऐसा व्यक्ति न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसके पास ऐसे प्रदर्शन पर जोर देने का विधिक अधिकार है। न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए ऐसे अधिकार का अस्तित्व एक पूर्ववर्ती शर्त है। ऐसे असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में यह निहित है कि मांगी गई राहत विधिक अधिकार को लागू करने के लिए होनी चाहिए। वास्तव में, ऐसे अधिकार का अस्तित्व, न्यायालय द्वारा उक्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग की नींव है। जिस विधिक अधिकार को लागू किया जा सकता है वह सामान्यतः अपीलकर्ता का स्वयं का अधिकार होना चाहिए, जो ऐसे अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और उसी के संबंध में अनुतोष के लिए न्यायालय पहुँचता है। [देखें: ओडिशा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा [एआईआर 1952 एससी 12], सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1954 एससी 728], कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोप्रायटरी) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एआईआर 1962 एससी 1044], राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1996) 5 एससीसी 460 : एआईआर 1996 एससी 2736] और तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक शेयरहोल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन (2) बनाम एस.सी. सेकर [(2009) 2 एससीसी 784]]।"

"10. 'विधिक अधिकार' का अर्थ विधिक नियमावली से उत्पन्न होने वाली पात्रता है। इस प्रकार, इसे विधि के शासन द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए लाभ या सुविधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 'व्यथित व्यक्ति' अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से ग्रस्त है; इसलिए, व्यथित व्यक्ति अनिवार्य रूप से वह होना चाहिए जिसका अधिकार या हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित या खतरे में पड़ा हो। (देखें: शांति कुमार आर. कांजी बनाम होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क [(1974) 2 एससीसी 387 : एआईआर 1974 एससी 1719] और राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ [(1977) 3 एससीसी 592 : एआईआर 1977 एससी 1361]]।"

"11. आनंद शरदचंद्र ओका बनाम मुंबई विश्वविद्यालय, (2008) 5 एससीसी 217 : एआईआर 2008 एससी 1289 में, इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें यह अवलोकन किया गया था कि यदि राहत का दावा करने वाला व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है, तो उसे अन्य व्यक्तियों के चुनाव या चयन के संबंध में व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।"

5- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद, 1976 (1) एससीसी 671** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि एक अजनबी, जो व्यथित व्यक्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है, वह न तो उत्प्रेषण और न ही परमादेश के लिए रिट बनाए रख सकता है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक प्रस्तर नीचे पुनरुत्पादित है:-

"50. जबकि एक प्रोक्रेस्टियन दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए, नियम के रूप में, न्यायालय को किसी 'अजनबी' के इशारे पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ न हों, जिनमें न्याय की गंभीर विफलता शामिल हो जिसका सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता एक 'अजनबी' है, और कोई 'बिजीबॉडी' (हस्तक्षेप करने वाला परजीवी) नहीं है, तब भी वर्तमान वाद में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं जो उसके इशारे पर 'उत्प्रेषण' की रिट जारी करने को न्यायसंगत ठहराती हों। इसके विपरीत, उसके पक्ष में इन विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का परिणाम, कुल मिलाकर, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा। यह इस व्यवसाय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगा जो व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है; यह शहर में सिनेमा व्यवसाय के अपीलकर्ता के एकाधिकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखेगा; और सबसे बढ़कर, यह वास्तव में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 के मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से चोट पहुँचाएगा, जो उनके पास संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अंतर्गत "विधि द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों" के अधीन व्यापार या व्यवसाय करने के लिए हैं।"

6- **प्यारे लाल व अन्य बनाम उप संचालक चकबंदी मैनपुरी व अन्य, 2005 ऑल एल.जे. 1966** के वाद में प्रस्तर-7 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"व्यथित' शब्द का शब्दकोश अर्थ 'हानि या चोट सहना' है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार व्यथित पक्ष/व्यक्ति वह है 'जिसके विधिक अधिकार पर शिकायत किए गए कार्य द्वारा आक्रमण किया गया है, या जिसका वित्तीय हित किसी डिक्री या निर्णय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है'। व्यथित शब्द एक सारभूत शिकायत, किसी व्यक्तिगत या संपत्ति के अधिकार के इनकार, या किसी पक्ष पर बोझ या दायित्व अधिरोपित करने को संदर्भित करता है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम वॉल्यूम IV 356 (प्रथम संस्करण) के अनुसार किसी पक्ष या व्यक्ति को निर्णय द्वारा व्यथित केवल तभी कहा जा सकता है जब वह उसके व्यक्तिगत, वित्तीय या संपत्ति के अधिकारों पर प्रत्यक्ष और हानिकारक रूप से कार्य करता हो।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि याचिकाकर्ता केवल एक अजनबी या 'बिजीबॉडी' है। पूरी रिट याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता किस प्रकार व्यथित पक्ष है।

8- मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान रिट याचिका को बनाए रखने के लिए कोई वाद अधिकार नहीं है, अतः याचिका खारिज होने योग्य है और इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

सकलेन